11-8-2020 पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी शम्भू रावल पुत्र श्री नथाराम रावल, जाति– रावल, निवासी– असाउ, पोस्ट– अजारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, साई जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, सिरोही रोड़ पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 11.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस गुडड सुपारी का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच रिपोर्ट में Extraneous Matter युक्त पाई गई है, वह मैनें कंपनी पैक अवस्था

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.18/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

में बिक्री के लिये प्राप्त की थी, भूलवश मैं बिल नही ले पाया गया। इसमें मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप व Extraneous Matter खाद्य पदार्थ सुपारी (गुड्डु ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह व्यक्त किया कि वह छोटा व्यापारी है एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.10.2019 को प्रतिवादी शम्भू रावल की फर्म सांई जनरल स्टोर,, बस स्टेण्ड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी शम्भू रावल से खाद्य पदार्थ सुपारी (गुड्डू ब्राण्ड) के 20 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 105 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ सुपारी (गुड्डू ब्राण्ड) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./772/Act/2019/819 दिनांक 24.10.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) एवं Extraneous Matter युक्त पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी शम्भू रावल ने मिथ्याछाप (Misbranded) एवं Extraneous Matter युक्त खाद्य पदार्थ सुपारी (गुड्डू ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 व 54 के तहत प्रतिवादी शम्भू रावल पुत्र श्री नथाराम रावल, जाति– रावल, निवासी– असाउ, पोस्ट– अजारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, साई जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.18/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	है। प्रतिवादी शम्भू रावल पुत्र श्री नथाराम रावल, जाति– रावल, निवासी– एसाउ, पोस्ट– अजारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने [illegible] डी.डी. आयन्दा दिनांक 26.8.2020 को पेश हो। (गितेश श्री मालवीया) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested